दिनांक 05.01.2026 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ अवधि में गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ तथा खड़गपुर जलाशय में अंतरण कार्य के कार्यान्वयन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण :-

1. इं० अवधेश कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग।
2. इं० मो० सोहैल अहमद अंसारी, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर।
3. इं० शम्स परवेज, मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग।
4. इं० अमरेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3, पटना।
5. इं० अभिजीत कुमार, अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई यांत्रिक अंचल, मीठापुर, पटना।
6. इं० तौहिद आलम, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर।
7. इं० शम्स तबरेज, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-08, पटना।
8. इं० शशि रंजन कुमार, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर।
9. इं० तनय कुमार, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर।
10. इं० जयन्त, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई यांत्रिक मोनिटरिंग एवं डिस्पोजल प्रमंडल, पटना।

बैठक में उपस्थित संवेदक :-

1. श्री जी० वीरा० शेखर रेड्डी, प्रबंध निदेशक (GVPR Engineers Ltd.)
2. श्री विनोद पी०वी०, परियोजना प्रबंधक (GVPR Engineers Ltd.)

समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिये गये निदेश निम्नवत है :-

- योजना की समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा बताया गया कि योजनांतर्गत सुल्तानगंज में प्रस्तावित इंटेकवेल-सह-पम्प हाउस से 19.44 कि०मी० की दूरी पर मुंगेर जिला के अधीन तारापुर प्रखंड के खुदिया ग्राम में अवस्थित कंट्रोलर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना है, जिसके कारण इस बिन्दु पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। निदेश दिया गया कि योजनांतर्गत कंट्रोलर के निर्माण हेतु वांछित भूमि का अधिग्रहण सतत लीज नीति, 2014 के तहत किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र की जाय, ताकि इस बिन्दु पर अविलंब कार्य प्रारंभ किया जा सके। साथ ही योजना कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु पाईप लाईन के लेईंग कार्य के लिए वांछित भूमि अधिग्रहण को आवश्यकतानुसार सतत लीज नीति, 2014 के तहत अधिग्रहित किये जाने निमित निदेशित किया गया।

  (कार्रवाई:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर/संवेदक)

- योजनांतर्गत सुल्तानगंज में प्रस्तावित इंटेकवेल-सह-पम्प हाउस के निर्माण हेतु लघु जल संसाधन विभाग के आधिपत्य की 06 डी० भूमि की आवश्यकता है, जिसमें वर्तमान में उनका निष्क्रिय पम्प हाउस अधिष्ठापित है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 3981 दिनांक 03.12.2025 द्वारा प्रस्ताव लघु जल संसाधन विभाग के मुख्यालय में समर्पित किया गया था, जिसे अधीक्षण अभियंता, (मुख्यालय) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 1682 दिनांक 30.12.2025 द्वारा कतिपय त्रुटियों के निराकरण हेतु वापस लौटाया गया।

इस संबंध में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा सचिव, लघु जल संसाधन विभाग से वार्ता कर निदेश दिया गया कि अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग स्वयं दिनांक 06.01.2026 को 12:00 बजे अपराह्न में सचिव, लघु जल संसाधन विभाग के कार्यालय में मिलकर इस मामले में शीघ्र प्रगति हेतु अनुरोध करेंगे।

(कार्रवाई:– अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3)

- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर द्वारा बताया गया कि योजनांतर्गत सुल्तानगंज में प्रस्तावित इंटेकवेल–सह–पम्प हाउस के कार्यस्थल पर 193 अदद वृक्षों का पातन/विस्थापन किया जाना है, जिसके लिए सिंचाई प्रमंडल, तारापुर के कनीय अभियंता को वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर से समन्वय स्थापित करने हेतु नामित किया गया है। इसपर प्रधान सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर को चेतावनी दी गयी कि दूसरे विभागों के वरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करने हेतु कम–से–कम सहायक अभियंता स्तर के पदाधिकारियों को नामित किया जाय।

(कार्रवाई:– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर)

- योजनांतर्गत प्रस्तावित संरचनाओं एवं पाईप लाईन के रूपांकण एवं आलेख के भेटिंग एवं अनुमोदन की स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि योजना के अधीन कई संरचनाओं का भेटेड रूपांकण एवं आलेख एकरारनामा के 08 माह बीतने के बावजूद संवेदक द्वारा अबतक समर्पित नहीं किया गया है, जो अत्यंत ही निराशाजनक है। इस क्रम में योजनांतर्गत वांछित सभी संरचनाओं एवं पाईप लाईन के भेटेड रूपांकण एवं आलेख दिनांक 10.02.2026 तक क्षेत्रीय कार्यालय में समर्पित करने हेतु संवेदक को निदेशित किया गया।

(कार्रवाई:– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर/संवेदक)

- बैठक के दौरान क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा योजनांतर्गत पाईप लाईन के भुगतान के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि पाईप लाईन का लेईंग कार्य कराये बिना इसका भुगतान संभव नहीं है। जबकि एकरारनामा अंतर्गत Breakup Schedule for Payment में निहित शर्तो के अनुसार पाईप लाईन का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाना निर्धारित है :–

In respect of Pressure main works the sub components shall be,

(a)	Plate supply	-	53%
(b)	Pipe Fabrication, Lining / coating of pipes	-	20 %
(c)	Conveyance, Excavation, Laying and field jointing	-	20 %
(d)	Refilling and Hydro testing	-	5%
(e)	After completion of Trial Run Period as per relevant codes, approved design & drawing	-	2%

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बैठक के दौरान भ्रमित करने का प्रयास किया गया। साथ ही एकरारनामा के अनुसार योजनांतर्गत पाईप लाईन का अबतक भुगतान नहीं किये जाने के कारण योजना की वित्तीय प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निदेश दिया गया कि योजनांतर्गत पाईप लाईन के भुगतान प्रक्रिया के संबंध में भ्रमित करने हेतु अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर तथा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभागीय निगरानी संगठन को निदेशित किया जाय।

(कार्रवाई:– अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना)

- योजनांतर्गत भागलपुर, बांका तथा मुंगेर जिला में क्रमशः लगभग 47.05 एकड़, 63.275 एकड़ तथा 82.76 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिनमें से मुंगेर जिलांतर्गत असरगंज एवं संग्रामपुर अंचल के अधीन लगभग 45 एकड़ भूमि को छोड़कर शेष वांछित भूमि हेतु अधियाचना संबंधित अंचलाधिकारियों को समर्पित कर दी गयी है।

इस संबंध में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, बांका/जिला पदाधिकारी, मुंगेर से वार्ता कर मामले में तेजी लाने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही योजना के कार्यान्वयन हेतु बांका जिलांतर्गत 01 अदद क्रॉसिंग के लिए अनापत्ति प्रदान करने निमित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका को अपने स्तर से निदेशित करने हेतु जिला पदाधिकारी, बांका से अनुरोध किया गया।

(कार्रवाई:– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर/जिला पदाधिकारी, बांका/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर/संवेदक)

- योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संवेदक द्वारा योजना में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु आवश्यकतानुसार श्रमबल एवं मशीनरी कार्य स्थल पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। निदेश दिया गया कि कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में श्रमबल, निर्माण सामग्री एवं मशीनरी उपलब्ध कराते हुए योजना में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाय, अन्यथा संवेदक को डिबार करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित योजना की पुनः समीक्षा निमित अगली बैठक हेतु दिनांक 20.01.2026 की तिथि निर्धारित की गयी।

(कार्रवाई:– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर/संवेदक)

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–51 / 2024–पार्ट–I– 163 पटना, दिनांक : 20/01/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से संवेदक को इस कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुये दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

20/1/2026

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–51 / 2024–पार्ट–I– 163 पटना, दिनांक : 20/01/26

प्रतिलिपि : अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/2026

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–51 / 2024–पार्ट–I– 163 पटना, दिनांक : 20/01/26

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, बांका / भागलपुर / मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/2026

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–51 / 2024–पार्ट–I– 163 पटना, दिनांक : 20/01/26

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/1/2026

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक : यो०मो०–03–कार्य–10–51 / 2024–पार्ट–I– 163 पटना, दिनांक : 20/01/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–2, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

20/1/2026

(अवधेश कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन